



निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

F.1(a)57/Estt/Ins/Part-III-01293/

Dated : 29-07-2024

आदेश 180

विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 01.03.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर पर्यवेक्षक के पद पर चयनित कार्मिकों के पदोन्नति आदेश कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 19.01.2023 के अनुसरण में वर्ष 2022 (01 जनवरी 2023 की स्थिति में) का अचल संपत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन नहीं भरे जाने के कारण रोके गये थे।

उक्त क्रम में कार्मिक द्वारा वर्ष 2023(01 जनवरी 2024 की स्थिति में) का अचल संपत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन भरे जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक 108 दिनांक 19.06.2024 द्वारा पदोन्नति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप निम्नांकित कार्मिक का नाम दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में आदेश क्रमांक 44 दिनांक 02.05.2024 द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के पर्यवेक्षक की जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्ग	चयन वर्ष	जन्म दिनांक	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्री रमेश बाबू कश्यप	-	2023-24	01.07.1965	झालावाड़	झालावाड़	क्रम संख्या 69 पर अंकित श्री लालाराम पुत्र श्री मोहना राम के नीचे व क्रम संख्या 70 पर अंकित श्री नारायण सिंह देवड़ा के उपर

उक्त कार्मिक का नाम सहायक प्रशासनिक अधिकारी की दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में आदेश क्रमांक 16 दिनांक 12.04.2024 द्वारा जारी की गई अनन्तिम वरिष्ठता सूची से विलोपित किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अमित जौहरी)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Dated : 29-07-2024

F.1(a)57/Estt/Ins/Part-III-01293/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
- वरि.अति./अति./संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग/समस्त जिला व योजना कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान।
- वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
- सम्बन्धित अधिकारीगण।
- केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक।
- सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
9239009



Signature valid

Digitally signed by Amit Johari
Designation: Senior Additional
Director
Date: 2024.07.29 16:13:45 IST
Reason: Approved